न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 45 / 2023

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थी**
1. अमराराम पुत्र पूरणाराम 2. किशनाराम पुत्र पूरणाराम 3. जेतीदेवी पत्नि पूरणाराम 4. मनोहरलाल पुत्र पूरणाराम 5. वेहनाराम पुत्र पूरणाराम 6. सवाईसिंह पुत्र पूरणाराम 7. पाबूराम पुत्र देरामाराम जातियान जाट निवासी मोतीनगर तहसील सिणधरी		तहसीलदार, सिणधरी, जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131.136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 06.02.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 120 / 13 रकबा 5.1857 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 7 के खसरा संख्या 120 / 15 रकबा 3.2845 हैक्टेयर का ग्राम मोतीनगर पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि प्रार्थीगण के उक्त खसरान के सेढे पर अवस्थित खेत खसरा संख्या 120 / 6 व 120 के तत्समय के खातेदारान स्व. तुलसाराम वल्द [illegible] पत्र तहसीलदार सिणधरी के आदेश कमांक राजस्व / 2017 / 142 दिनांक [illegible] खसरान में से राज्य सरकार के पक्ष में भूमि समर्पित की थी, उक्त समर्पित भूमि की [illegible] राजस्व कार्मिकों की भूल [illegible] प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मे कर दी है जबकि प्रार्थीगण द्वारा अप[illegible] उक्त खसरान में से भुमि [illegible] समर्पण नहीं करवाया है मात्र पड़ौसी खातेदारान द्वारा समर्पित भूमि की भूल से तरमीम प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे कर दी है। जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तत्समय खातेदार द्वारा वक्त समर्पण प्रस्ताव में जो नक्शा बनाया गया है उसमें पक्षकारान के द्वारा अपने खेत के खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:47:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

120/19 रकबा 1.10 बीघा समर्पित भूमि मार्ग के अनुसार को रखकर समर्पण प्रस्ताव बनाया गया था और मौके पर इसी अनुसार रास्ता चल रहा है। अत: वर्तमान में प्रार्थी के खेत में गलत रूप से अंकित विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं 01 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 120/13 रकबा 5.1857 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 7 के खसरा संख्या 120/15 रकबा 3.2845 हैक्टेयर का ग्राम मोतीनगर पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, खेत खसरा नम्बर 120/19 रकबा 1.10 बीघा भूमि तत्समय खातेदार द्वारा आपसी सहमति मूल खेत खसरा नम्बर 120 का विभाजन करवाने के बाद कायम नये खसरा नम्बर 120/119 रकबा 1.10 बीघा भूमि का तहसील कार्यालय सिणधरी में रास्ते के लिए भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया गया और समर्पण का नामान्तरण भर दिया गया। तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरीत लटठा ट्रेस में कर दी गई, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के द्वारा वक्त समर्पण प्रस्ताव में जो नक्शा बनाया गया है अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 120/13 रकबा 5.1857 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 7 के खसरा संख्या 120/15 रकबा 3.2845 हैक्टेयर का ग्राम मोतीनगर पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी आया हुआ है। पक्षकारान के द्वारा अपने मूल खेत खसरा नम्बर 120 के सहमति विभाजन के बाद पक्षकारों के एक–दूसरे के खेत तक आवागमन को ध्यान में रखते हुए खसरा नम्बर 120/119 रकबा 1.10 बीघा भूमि जिसके मौके पर चल रहा मार्ग जो मौके के अनुसार को रखकर समर्पण करवाया गया था और मौके पर इसी अनुसार रास्ता चल रहा है एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तत्समय खातेदार तुलछाराम द्वारा बिन्दु सं. A से D तक लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जबकि वास्तविक रूप से बिन्दु सं. A से C तक सही है तथा B से D बरंग लाल से दर्शित जो तरमीम हो रखी है,जो कि गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:47:50 IST
Reason: SelfAttested

तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 124 दिनांक 15.01.2024 से होता है,इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर समर्पित भूमि की गलत रूप से तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थीगण का मौके पर समर्पित भूमि के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम मोतीनगर पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी भूमि के खसरा नम्बर 120/19 रकबा 1.10 बीघा (समर्पित भूमी) की विदयमान तरमीम A,B,C,D निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट कमांक 124 दिनांक 15.01.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार (A,B,C)तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 06.02.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:47:50 IST
Reason: SelfAttested